समाहरणालय मुजफ्फरपुर
जिला गोपनीय प्रशाखा
****

दूरभाष सख्या : 0621-2212101 [का.]
0621-2212105 [आ.] 2217285 [फै.]
E-mail : dm-muzaffarpur.bih@nic.in

श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा.प्र.से., जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 19.06.2017 को संपन्न जिलास्तर पर साप्ताहिक कार्ययोजना/प्राथमिकता निर्धारण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

1. **पी.एच.ई.डी.** :– कार्यपालक अभियंता, पी.एच.ई.डी., मुज. द्वारा बैठक में बताया गया कि सात निश्चय से संबंधित वर्ष 2017–18 के लिए कुल 361 वार्ड के लिए DPR बनाकर विभाग को भेजा जा चुका है। विभाग से स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा। विश्व बैंक की योजना से संबंधित कार्य भी प्रगति पर है। निदेश दिया गया कि दोनो ही योजनाओं की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा कर प्रतिवेदित करें।

2. **जिला पंचायत** :– जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुज. को निदेश दिया गया कि पी.आर.एस. भवन हेतु पंचायत वार भूमि के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ऑडिट कराते हुए सभी लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजना सुनिश्चित करावे। सात निश्चय की प्रगति से संबंधित बैठक आहूत कराने का निदेश दिया गया। जिला परिषद से कराये जाने वाले कार्य यथा:– आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण/राजीव गांधी सेवा केन्द्र निर्माण एवं सात निश्चय की योजनाओं के संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

3. **जिला योजना** :– जिला योजना पदाधिकारी, मुज. द्वारा बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 40 योजनाओं को छोड़ सभी की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा शेष 40 योजनाओं की भी स्वीकृति अगले दो दिनों में दे दी जायेगी। इन सभी योजनाओं को ससमय पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। इनके द्वारा बैठक में बताया गया कि एम्बुलेन्स, किताब एवं साईकल क्रय हेतु कार्रवाई किया जा रहा है। जिला योजना पदाधिकारी, मुज. द्वारा बैठक में बताया गया कि DRCC द्वारा दिनांक 30.06.2017 तक शत प्रतिशत कॉन्सेलिंग कार्य कर लिया जायेगा। इन्हे निदेश दिया गया की वैसे सभी पंचायत जहां अभी तक कार्य प्रारंभ नही हुआ है, उसकी सूची तैयार कर तीन दिनों के अंदर उपलब्ध करावे। साथ ही आगामी बैठकों में DRCC से संबंधित सभी बिन्दुओं पर स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध करावे।

4. **समाजिक सुरक्षा कोषांग** :– प्रभारी पदाधिकारी, समाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बैठक में बताया गया कि कुछ प्रखंडों को छोड़ शेष में लाभुके के खाता का आधार सिडिंग का कार्य प्रगति पर है। निदेश दिया गया कि उन प्रखंडों के

विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव उपस्थापित करें, जहां की प्रगति 75 प्रतिशत से कम है। समाजिक सुरक्षा के लाभुकों के खाता संख्या में सुधार करने का निदेश दिया गया। कबीर अन्तयोष्ठी योजना/परिवार लाभ योजना आदि का लम्बित उपयोगित प्रमाणपत्र प्राप्त कर विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।

5. **जिला प्रोग्राम (ICDS)** :– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रोग्राम द्वारा बैठक में बताया गया कि कन्या विवाह योजना अंतर्गत पूर्व से लम्बित पांच वर्षो की उपयोगिता प्रमाण पत्र में से विगत दो वर्षो 2011–12 एवं 2015–16 का प्राप्त हो चुका है, जबकि वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 का अभी तक प्राप्त नही हुआ है। निदेश दिया गया कि यदि अगले दो दिनों के अंदर सभी लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नही होते है तो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई प्रारंभ किया जाये। आवंटन के संबंध में बताया गया कि वर्ष 2017–18 का आवंटन अभी तक प्राप्त नही है। इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निदेश दिया गया। साथ ही प्रखंडों में बचे अवशेष राशि को प्राप्त करने का भी निदेश दिया गया। वर्षवार लाभुकों का लम्बित सूची तैयार करने तथा सभी प्रखंडों से उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने का निदेश दिया गया। CDPO से दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त करने तथा नियमित रूप से साप्ताहिक बैठक आहूत करने का निदेश दिया गया। इसके साथ ही कर्मियों के विरूद्ध चल रहे लम्बित मामलों पर जल्द कार्रवाई करने का भी निदेश दिया गया।

6. **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण** :– प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संबंध में निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुज. को निदेश दिया गया कि वर्ष 2016–17 के संबंध में विभाग से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में कार्य कराना सुनिश्चित कराये। वैसे प्रखंड जहां योजना की प्रगति धीमा है, वहां विशेष ध्यान दिये जाने का निदेश दिया गया। पूर्व के वर्षो की लम्बित आवासों को पूर्ण कराने का भी निदेश दिया गया। सकरा, मीनापुर एवं मोतीपुर प्रखंड में प्रगति काफी कम होने की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। इसी प्रकार वैसे सभी प्रखंड जहां कार्य की प्रगति असंतोषजनक है, उनके विरूद्ध जाँच कराते हुए कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

मनरेगा योजना के संबंध में सर्वप्रथम निदेश दिया गया कि लम्बित भुगतान की स्थिति में तत्काल सुधार किया जाये तथा इसके लिए दोषी कर्मियों को चिन्हित करते हुए आवश्यक कार्रवाई किया जाये। ऐसे पंचायत जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा लाभुकों का भुगतान निर्धारित समय सीमा को पार कर गया है, उस पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक के विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। इसी प्रकार शुन्य श्रम दिवस सृजित करने वाले पंचायतों के विरूद्ध भी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। बैठक में आधार सिडिंग एवं जॉब कार्ड सत्यापन की प्रगति धीमा होने पर खेद व्यक्त किया गया। निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुज. को निदेश दिया गया कि बन्दरा एवं मीनापुर प्रखंड के कुछ पंचायतों के मनरेगा की विभिन्न योजनाओं की जाँच कर जाँच

प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा के साथ उपलब्ध करावें। इसी प्रकार विभागीय मार्गदर्शन एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ODF कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया।

7. **आपदा** :– अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मुज. को निदेश दिया गया कि बाढ पूर्व तैयारी पूर्ण करने के साथ ही आवंटन प्राप्ति हेतु विभाग से पत्राचार किया जाये। ओलावृष्टि से संबंधित प्रतिवेदन प्रखंडों से प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। सभी अंचलाधिकारियों से बांध की मरम्मती से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त कर इस कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया।

8. **विकास** :– जिला विकास प्रशाखा की कार्य प्रणाली पर खेद व्यक्त करते हुये प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कार्यालय के कार्य में सुधार लाना सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी कर्मियों को कर्म पुस्तिका संधारित कराने तथा उसकी नियमित समीक्षा करने का निदेश दिया गया। समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि कई कर्मी EL पर चले गये है। इस संबंध में पृच्छा किया गया कि वगैर स्वीकृति के कर्मी लम्बी अवकाश या EL पर किस प्रकार चले जाते है।

9. **राजस्व** :– राजस्व शाखा के कार्य प्रणाली पर असंतोष व्यवक्त करते हुए निदेश दिया गया कि सभी कर्मियों को कर्म पुस्तिका संधारित कराने तथा उसकी नियमित समीक्षा करना सुनिश्चित करें। ईट–भट्टा पर सरकारी निदेश के आलोक में तत्काल जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। जिला के विभिन्न सैरातों के संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर उपस्थापित करने का निदेश दिया गया ताकि सभी सैरातों का बन्दोवस्ती किया जा सके।

10. **भू–अर्जन** :– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, मुज. द्वारा बैठक में सभी दान दाताओं को कार्यालय द्वारा नोटिस भेजा जा चुका है। निदेश दिया गया कि NH एवं रेलवे से संबंधित योजनावार प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी लम्बित मामलो में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

11. **आपूर्ति** :– समीक्षा में पाया गया कि कुपन वापसी किये वगैर ही प्रखंडों को आवंटन दिया जा रहा है। इसे अत्यंत खेदजनक मानते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुज. को निदेश दिया गया कि तत्काल इसकी जाँच कराते हुए दोषी कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे MO के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया गया जिनसे जाँच प्रतिवेदन प्राप्त नही हो रहा है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुज. को निदेश दिया गया कि नियमित रूप से प्रखड स्थित कार्यालय का जाँच कर जाँच में पाये गये त्रुटियों का सुधार कराना सुनिश्चित करावें।

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 3599/गो. दिनांक 22/06/17

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर/अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, मुजफ्फरपुर/अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर/अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी/पश्चिमी /भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी/पश्चिमी, मुज0/ समाहरणालय स्थित सभी प्रशाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला खेल पदाधिकारी/जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला योजना पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी/निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व नियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्ता–सह– प्रभारी पदाधिकारी, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम/ सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/आई0टी0 मैनेजर, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जिलाधिकारी, 21/6
मुजफ्फरपुर।